रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं॰ 847] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1998/पौष 7, 1920
No. 847] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1998/PAUSA 7, 1920

SECRETARIAT LIBRARY
18/1/99
GOVT. OF INDIA

## श्रम मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1998

**का. आ. 1120(अ):**—जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (1) के अनुसरण में श्रम मंत्रालय की तारीख 27 जून 1996 को सरकारी अधिसूचना संख्या का. आ. 2124 के तहत, खनिज तेल (अपरिष्कृत तेल), मोटर और विमानन स्प्रिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उनके सम्मिश्रणों, जिनके अन्तर्गत संश्लिष्ट ईंधन, स्नेहक तेल और इसी प्रकार की वस्तुएं आती हैं, के विनिर्माण और उत्पादन में लगे उद्योग को (जिससे इसके बाद उद्योग कहा गया है), उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया था, जिसे औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 2 के अधीन 27 जून, 1996 से दो वर्ष की अवधि के लिए नियंत्रित उद्योग के रूप में घोषित किया गया था।

और जबकि केन्द्रीय सरकार की राय है कि जनहित में यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को और दो वर्ष की अवधि तक 'नियंत्रित उद्योग' के रूप में विनिर्दिष्ट करना जारी रखा जाये;

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को 28-12-1998 से और दो वर्ष की अवधि के लिए नियंत्रित उद्योग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-11025/23/83-डी.I(A)]

पदमा बालासुब्रामणियन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 1998

**S.O. 1120(E):**—Whereas by Government Notification in the Ministry of Labour No. S.O. 2124 dated the 27th June, 1996 the Central Government had inpursuance of Sub-clause (i) of Clause (a) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947

(14 of 1947), specified for the purpose of that sub-clause, the industry engaged in the manufacture of production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like (hereinafter referred to as the said industry) which had been declared as a controlled industry under Section 2 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of two years from the 27th June, 1996.

And whereas the Central Government is of the opinion that in the Public interest it is necessary that the said industry be continued to be specified as a controlled industry for a further period of two years.

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (i) of Clause (a) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby specifies, for a further period of two years from the 28th December, 1998 the said industry as a controlled industry.

[F. No. S-11025/23/83-D. I(A)]

PADMA BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.